Registered

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. F 65286
Ref. No. Central / 2014 / प्रयो० मान्य० / 15-16 दिनांक Date 12-8-15

सेवा में,

मै0 जी0आर0सी0 इण्डिया ट्रेनिंग एण्ड एनालिटिकल लैबोरेटरी,
एफ–375, सेक्टर 63,
नोएडा।

विषयः वायु प्रदूषण जांच/अनुश्रवण संबंधी कार्यों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 17 (उपधारा – 2) के अन्तर्गत प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.14 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न शर्तो के अधीन वायु प्रदूषण अनुश्रवण संबंधी कार्यो हेतु जुलाई 2017 तक की अवधि हेतु उक्त प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान की जाती है:–

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार परिवेशीय वायुगुणता एवं औद्योगिक उत्सर्जन की स्टैक मानिटरिंग एवं गैस प्रचालकों का विश्लेषण किया जाएगा।
2. प्रयोगशाला द्वारा जो स्टैक अनुश्रवण किया जायेगा उसका विवरण प्रत्येक माह केन्द्रीय प्रयोगशाला को भेजा जाये। विश्लेषण आख्या की रिपोर्ट अधिक से अधिक सात दिन के अन्दर संबंधित उद्योग क्षेत्रीय कार्यालय तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ को प्रेषित कराना होगा।
3. यदि किसी प्रयोगशाला द्वारा किसी उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना भी की गई हो तो उसके स्वयं के प्रयोगशाला द्वारा ऐसे लगाए गए संयंत्र की प्रदूषण नियंत्रण क्षमता की जांच रिर्पोट मान्य नहीं होगी। उनकी दूसरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करानी होगी।
4. प्रयोगशाला द्वारा जिस उद्योग के उत्सर्जन की जांच किया जाना प्रस्तावित हो उसकी तिथि एवं समय की पूर्व सूचना बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला को कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला द्वारा किसी भी समय जांच में यदि यह पाया जाता है कि प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण में अनियमितता की जा रही है तो ऐसी दशा में प्रयोगशाला की मान्यता को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
6. प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले वायु अनुश्रवण/स्टैक अनुश्रवण एवं गैसीय नमूनों के विश्लेषण आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय समय पर एनालिटिकल क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्ट कराया जाएगा।
7. प्रयोगशाला द्वारा नमूना एकत्रण विश्लेषण आदि का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखा जाएगा एवं बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच हेतु मांगने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित वायु अनुश्रवण रिर्पोट मात्र परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण तथा सहमति प्रकरण पर निर्णय हेतु विचार की जाएगी।

भवदीय

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com